रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली मंगलवार, जून 14, 1977/ज्येष्ठ 24, 1899
No. 239] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 1977/JYAISTHA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th June 1977

S.O. 392(E)/15/IDRA/77.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs Indore Textile Mills Limited, Ujjain, is engaged in a scheduled industry, namely, Cotton Textile industry

And, whereas, the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of,—

Chairman

1 Shri S K. Sharma, Commissioner, Ujjain Division, Government of Madhya Pradesh

Member

2 Shri A. B Surte, Joint Director (Accounts), Office of the Regional Director, Company Law Department, 'Everest', 100, Marine Drive, Bombay.

Member Secretary

3. Shri C. K. Phadke, Director, Office of the Textile Commissioner, New Marine Lines, Bombay

[No F. 3/5/77-CUC]

A. K. GHOSH, Addl Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जून, 1977

का० आ० 392 (**अ**)/15, **आई डी आर ए** 77—मैसर्स इन्दौर टेक्सटाइल मिल्स लि०, उज्जैन नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती कपड़ा के सामान के उद्योग में लगा है।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है जो विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित नहीं है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मामले की परिस्थितियों का समस्त और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1 श्री एस० के० शर्मा,
कमिश्नर, उज्जैन डिवीजन, मध्य प्रदेश सरकार।

सदस्य

2 श्री ए० बी० सूरते
संयुक्त निदेशक (लेखा), प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय,
कम्पनी कानून विभाग, एवरेस्ट, 100, मेरीन ड्राइव, बम्बई।

सदस्य सचिव

3. श्री सी० के० फडके,
निदेशक, टेक्सटाइल कमिश्नर का कार्यालय,
न्यू मेरीन लाइन्स, बम्बई

[सं० फा० 3/5/77-सी० यू० सी०]

अरुण कुमार घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977